पानाराम - जगदीश, 63/2024

दिनांक	आज्ञा पत्र
21.6.24	पत्रावली पेश। प.ख. 06R17 पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रकों में इन्द्राज करते हुए प.पत्र 06R17 रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। अपीलांट संशोधित अपील मेमो पेश करे। पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित अपील मेमो दिनांक 4.7.24 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
4.7.24	पत्रावली पेश। वकील उपस्थित एड. वास्ते संशोधित अपील मेमो पेश होने दिनांक 16.7.24 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
16.7.24	पत्रावली पेश। वकील उपस्थित एड. संशोधित अपील मेमो पेश किया शामिल पत्रावली किया। वास्ते बहस दिनांक 22.7.24 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
22.7.24	पत्रावली पेश। वकील उपस्थित एड. वास्ते बहस दिनांक 01.8.24 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
01.8.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उप.। बहस अपीलांट सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5.8.24 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
5/8/24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट रिजेक्ट की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धौजक, RAS

अपील संख्या 63/2024

1 पालाराम पुत्र स्व. सुलतान जाति गुर्जर
2 प्रहलाद पुत्र स्व. सुलतान जाति गुर्जर
निवासीगण ढाणी कुड़ी की तन कुण्डाला तहसील नीमकाथाना नवसृजित जिला नीमकाथाना।

अपीलार्थ

बनाम

1 जगदीश पुत्र स्व. रामेश्वर
2 गोकुल पुत्र स्व. रामेश्वर
3 रामोतार पुत्र भोलाराम
समस्त जाति महाजन निवासीगण कुण्डाला नीमकाथाना नवसृजित जिला नीमकाथाना (राज.)
4 तहसीलदार महोदय, नीमकाथाना राज.।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय
सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) नीमकाथाना
दिनांकित 06.03.2024 पीठासीन अधिकारी
श्री राजवीर सिंह यादव, आरएएस बाबत
मुकदमा उनवानी पालाराम आदि बनाम
जगदीश आदि मुकदमा नम्बर 133/2022
अन्तर्गत धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री प्रदीश जोशी, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 5.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 133/2022 में पारित निर्णय दिनांक 06.03.2024 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद घोषणा बाबत भूमि खसरा नम्बर 200, 201, 202/939, 202/940, 202/941, 202/942, 202/943 वाके ग्राम कुन्डाला तहसील नीमकाथाना का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का किसी प्रकार का कोई खण्डन नहीं किया गया था तथा खसरा गिरदावरियों के आधार पर वादीगण का कब्जा कदीमी होना पूर्णतया साबित होते हुए भी गलत व मनमाना निष्कर्ष निकाला जाकर दावा वादीगण निरस्त करने में गम्भीर तथ्यात्मक तथा कानूनी भूल की गयी है। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय जैर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस पारित करने से पूर्व इस महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य पर भी कतई गौर नहीं किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित नजीर के अनुसार यदि किसी पक्षकार का किसी अचल सम्पति पर लगातार 12 वर्ष से अधिक समय तक कब्जा बना रहता है तब उक्त व्यक्ति को सम्पति/भूमि के मालिक के विरूद्ध कदीमी कब्जे के आधार पर (एडवर्स पजेशन) मालिकाना हक प्राप्त हो जाते है। प्रस्तुत वाद में स्वीकृत रूप से वादीगण का भूमि पर 12 वर्ष से काफी अधिक वर्ष पूर्व से लगातार कब्जा चला आ रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह भी तथ्य अंकित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि का खसरा मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया गया तथा वादीगण भूमि पर कदीमी कब्जा साबित नहीं कर पाये है जो तथ्य पूर्णतया गलत व विधि–विरूद्ध अंकित किये गए है क्योंकि यदि न्यायालय को किसी प्रकार का कोई वहम था तब उक्त दस्तावेज वादीगण से पेश करवाया जा सकता था। यह भी पूर्णतया सत्य व प्रमाणित है कि प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कदीम से कभी कोई कब्जा–काश्त नहीं रहा है तथा ना ही उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कोई जवाबदावा व खण्डन पेश किया गया। इस कारण वादीगण द्वारा पेश दावा पूर्णतया साबित कर दिया गया परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा कतई गलत व मनमाने निष्कर्ष निकाले जाकर वाद–पत्र पूर्णतया डिक्री योग्य होते हुए भी खारिज करने में गम्भीर कानूनी भूल की गयी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में अंकित किया है कि वादी द्वारा मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में वाद साबित नहीं है। विचारण न्यायालय को दस्तावेज के अभाव में वादी को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

किये बिना पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 5.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर